

नम्बर
अधिका
हकम की
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 13/2026

पीठासीन अधिकारी - श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

वादीनीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनलाल खिलेरी पुत्र मोबताराम खिलेरी जाति विश्नोई, निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. मोबताराम पुत्र भारमलराम के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 01 से 03, 01. गवरी देवी पत्नी मोबताराम जाति विश्नोई, निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 2. कमला पुत्री मोबताराम पत्नी बाबुलाल 03. लाछी पुत्री मोबताराम पत्नी स्व. मंगलाराम जाति विश्नोई, निवासी तेजे की ढाणी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। प्रफॉर्मा पक्षकार 04. उदाराम पुत्र भारमलराम 5. देराम पुत्र भारमलराम 6. भागीरथराम पुत्र भारमलराम 7. लालाराम पुत्र भागीरथ जाति विश्नोई, निवासी सेड़वा, जिला बाड़मेर 8. एलची पत्नी ठाकरा 9. कोहला उर्फ कोशलाराम पुत्र भारमलराम 10. जगदीश पुत्र ठाकरा जाति विश्नोई, निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 11. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा सेड़वा 12. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा धोरीमन्ना 13. शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा 14. शाखा प्रबंधक दी सेंद्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेड़वा 15. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण - वादीगण वकील - श्री मोहनलाल खिलेरी
प्रतिवादीगण वकील - श्री श्रीराम विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act 1955 सपठित धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 20/02/2026

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पेश कर निवेदन किया गया कि यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 वादी के माता है व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 वादी की बहिनें है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण इस प्रकार हम पक्षकार संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि से शासित होते है। सरहद मौजा-आदर्श सोनड़ी, पटवार क्षेत्र- सोनड़ी, भू.अभि.नि.क्षेत्र- सोनड़ी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर में वादी के पिता स्व. मोबताराम की खातेदारी का पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा नम्बर 313 सेड़वा 0.0809 हैक्टेयर,



सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

नम्बर 314 रकबा 2.4362 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 4.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 1.180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 5.2042 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 6.1188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 1.9182 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207/40 रकबा 2.2743 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1211/320 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1212/322 रकबा 1.3759 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा, पटवार क्षेत्र-सेड़वा, भूअभि.नि.क्षेत्र-सेड़वा तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 530/155 रकबा 0.9227 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पिता मोबताराम के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज हैं, वादी के पिता मोबताराम स्वर्गवास कुछ समय पूर्व ग्राम भंवार में हो गया हैं स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि में विरासत में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/4- 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/24-1/24 हिस्सा बनता हैं मौजा-आदर्श सोनड़ी, पटवार क्षेत्र- सोनड़ी, भूअभि. नि.क्षेत्र- सोनड़ी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1210/49 रकबा 0.0647 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा के खसरा नम्बर 526/155 रकबा 1.5054 हैक्टेयर मौजा भंवार के खसरा नम्बर 63 रकबा 6.1107 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 3.9983 हैक्टेयर भूमि जो सम्पूर्ण आराजी वादी के पिता मोबताराम के नाम दर्ज हैं तथा वादी के पिता के सम्पूर्ण हिस्से में से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा पुश्तैनी भूमि जन्मसिद्ध हक हकूको का आया हुआ है, मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी वादी का स्थित है। उक्त आराजी को वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें वादी का जन्मसिद्ध व विरासत में हक हकूक व अधिकार हैं। वादी का मौके पर पुश्तैनी कब्जाकाश्त उपयोग उपभोग आया हुआ है। मौके पर वादी की रहवासीय ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है, संयुक्त आराजी है, जिसमें वादी का कण-कण में पुश्तैनी, हक हिस्सा मौजूद है। वादी वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित होने से वादी का अपने पिता मोबताराम की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/4- 1/4 हिस्सा उत्तराधिकार का आया हुआ है। उक्त हिस्से का अधिकार, हक वादी का जन्मसिद्ध का है। वादी के पिता मोबतारामका स्वर्गवास दिनांक 04.11.2025 को ग्राम भंवार में हो गया हैं, जिसके जिसके कारण स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि विरासत में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने से पूर्व आपसी परिवारिक संपत्ति समझौता वादी व वादी की माता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पुश्तैनी पारिवारिक सम्पत्ति का बंटवाड़ा समझौता दिनांक 17.11.2025 को अपने जाईन्दा संतान वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 03 के मध्य करवाकर दिनांक 17.11. 2025 को प्रतिवादी संख्या 02 से 03 द्वारा बंटवाड़ा व समझौता अनुसार अपने हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण



✱ (2)
 सहायक कलेक्टर
 (SDO) सेड़वा

4-1/4 हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष हकतर्क कर दी है तथा वादी की माता द्वारा भी पारिवारिक समझौते के अनुसार अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वादी के पक्ष में मौखिक रूप से हकत्याग कर वादी को सुपुर्द कर दी, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को वादी के पक्ष में लिखित व मौखिक हकतर्क करने के कारण वादी के पिता स्वर्गीय मोबताराम के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी हक प्राप्त करने का व पुश्तैनी, कब्जाकाशत, जन्मसिद्ध हक हकूक का होने से उक्त वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय मोबताराम के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को अपनी खातेदारी घोषणा वादी पानें का हकदार होने से दावा खातेदारी घोषणा का पेश है। हकतर्कनामा कम पारिवारिक बंटवाड़ा समझौता साथ पेश हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में वादी के हक में पारिवारिक मौखिक समझौता करके वादी को अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया है परन्तु राजस्व रेकर्ड में सम्पूर्ण भूमि वादी के पिता स्वर्गीय मोबताराम के नाम खातेदारी दर्ज होने कारण वादी को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिस हेतु खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत है। वादी के पिता स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि ग्राम भंवार के खसरा नम्बर 63 व 98 आया हुआ है जिसमें वादी के पिता द्वारा उक्त भूमि में अपने हिस्से को बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बालोतरा में जरिये नामान्तरकरण संख्या 664 दिनांक 04.07.1994 के जरिये बैंक के पक्ष में रहन करके ऋण प्राप्त किया था, उक्त रहन का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में चौसाला खसरा परिवर्तन में होता रहा लेकिन चौसाला खसरा परिवर्तन दरम्यान राजस्व रेकर्ड में रहन का इन्द्राज बालोतरा भूमि विकास बैंक के स्थान पर दी बाड़मेर सेन्ट्रल कोपेरेटिव बैंक बाड़मेर का इन्द्राज राजस्व कार्मिको के द्वारा कर दिया गया। तथा मोबताराम द्वारा अपने जीवनकाल में बालोतरा भूमि विकास बैंक का सम्पूर्ण ऋण राशि की अदायगी कर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर हल्का पटवारी व तहसीलदार को उक्त भूमि रहन मुक्त करने हेतु दिया गया, परन्तु राजस्व रेकर्ड में त्रुटि वंश भूमि विकास बैंक बालोतरा के स्थान पर दी बाड़मेर सेन्ट्रल कोपेरेटिव बैंक बाड़मेर अंकित होने से उक्त त्रुटि तहसीलदार द्वारा सुधार नहीं करने के अभाव में रहन मुक्ति का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सका जिसके कारण वादी राजस्व रेकर्ड में त्रुटि सुधार कर राजस्व रेकर्ड शुद्ध कर रहन मुक्ति का अमल दरामद करवाने का अधिकारी हैं। विनायवाद उस समय पैदा हुआ जब वादी के पिता स्वर्गीय मोबताराम द्वारा अपने जीवनकाल में मौखिक समझौते के जरिये उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि वादी को सुपुर्द कर दी तथा मोबताराम के स्वर्गवास के तत्पश्चात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य पारिवारिक संपत्ति बंटवाड़ा समझौता द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से सम्पूर्ण भूमि वादी के



3
 सहायक कलक्टर
 (SDO) मेड़वा

हकतर्क कर दी तब विनायवाद बमुकाम आदर्श सोनड़ी, सेड़वा व भंवार में पैदा हुआ व निरन्तर जारी वादग्रस्त आराजी मौजा-आदर्श सोनड़ी, पटवार क्षेत्र- सोनड़ी, भूअभि.नि.क्षेत्र- सोनड़ी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर व मौजा सेड़वा व भंवार, पटवार क्षेत्र- सेड़वा व भंवार, भूअभि.नि.क्षेत्र- सेड़वा तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर में स्थित होने एवं कृषि भूमि होने से दावा हाजा का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। मौजा-आदर्श सोनड़ी, पटवार क्षेत्र- सोनड़ी, भूअभि.नि.क्षेत्र- सोनड़ी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर में वादी की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 2.4362 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 4.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 5.2042 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 6.1188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 1.9182 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207/40 रकबा 2.2743 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1211/320 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1212/322 रकबा 1.3759 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा, पटवार क्षेत्र- सेड़वा, भूअभि.नि. क्षेत्र- सेड़वा तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 530/155 रकबा 0.9227 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 मोबताराम के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज हैं, वादी के पिता मोबताराम स्वर्गवास कुछ समय पूर्व ग्राम भंवार में हो गया हैं स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि में विरासत में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/4- 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/24-1/24 हिस्सा बनता हैं मौजा-आदर्श सोनड़ी, पटवार क्षेत्र- सोनड़ी, भूअभि.नि.क्षेत्र- सोनड़ी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1210/49 रकबा 0.0647 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा के खसरा नम्बर 526/155 रकबा 1.5054 हैक्टेयर मौजा भंवार के खसरा नम्बर 63 रकबा 6.1107 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 3.9983 हैक्टेयर भूमि जो सम्पूर्ण आराजी वादी के पिता मोबताराम के नाम दर्ज हैं तथा वादी के पिता के सम्पूर्ण हिस्से में से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा पुश्तैनी भूमि जन्मसिद्ध हक हकूको अधिकार होने से अपने पिता की सम्पूर्ण आराजी वादी अपने नाम व खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 03 जारी फरमावें। वादग्रस्थ आराजी वादी की हिस्से व कब्जाकाशत की भूमि होने से उक्त आराजी का प्रतिवादीगण बेचान, वसीयत, रहन, हस्तांतरण, दान या अन्य तरीके से संक्रान्त, दुर्व्ययन व रैकर्ड परिवर्तन नहीं करें तथा न ही वादी के पुश्तैनी कब्जाकाशत में दखलन्दाजी पैदा करें एवं न ही अन्य किसी से करावें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावें। वादी के पिता स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि ग्राम भंवार के खसरा नम्बर 63 व 98 आया हुआ हैं जिसमें वादी के पिता द्वारा



सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

भूमि में अपने हिस्से को बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बालोतरा में जरिये नामान्तरकरण संख्या 664 दिनांक 04.07.1994 के जरिये बैंक के पक्ष में रहन करके ऋण प्राप्त किया था, उक्त रहन का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में चौसाला खसरा परिवर्तन में होता रहा लेकिन चौसाला खसरा परिवर्तन दरम्यान राजस्व रेकर्ड में रहन का इन्द्राज बालोतरा भूमि विकास बैंक के स्थान पर दी बाड़मेर सेन्ट्रल कोपेरेटिव बैंक बाड़मेर का इन्द्राज राजस्व कार्मिको के द्वारा कर दिया गया। तथा मोबताराम द्वारा अपने जीवनकाल में बालोतरा भूमि विकास बैंक का सम्पूर्ण ऋण राशि की अदायगी कर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर हल्का पटवारी व तहसीलदार को उक्त भूमि रहन मुक्त करने हेतु दिया गया, परन्तु राजस्व रेकर्ड में त्रुटि वंश भूमि विकास बैंक बालोतरा के स्थान पर दी बाड़मेर सेन्ट्रल कोपेरेटिव बैंक बाड़मेर अंकित होने से उक्त त्रुटि तहसीलदार द्वारा सुधार नहीं करने के अभाव में रहन मुक्ति का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सका जिसके कारण वादी राजस्व रेकर्ड में त्रुटि सुधार कर राजस्व रेकर्ड शुद्ध कर रहन मुक्ति का अमल दरामद करवाने का अधिकारी होने से उक्त भूमि को रहन मुक्त होने का आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावाली किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03, 05 से 06 व 09 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई ने इकबालिया जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से लिखित राजीनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेजी साक्ष्यों आदि पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता नें वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादी के पिता स्व. मोबताराम के फौत होने पर उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में वादीगण का मालिकाना हक हकूक होने से व मौके पर कब्जे काशत होने से व मौजा-आदर्श सोनड़ी, पटवार क्षेत्र- सोनड़ी, भू.अभि.नि.क्षेत्र- सोनड़ी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर में वादी की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 2.4362 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 4.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 5.2042 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 6.1188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 1.9182 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207/40 रकबा 2.2743 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1211/320 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1212/322 रकबा 1.3759 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा, पटवार क्षेत्र- सेड़वा, भू.अभि.नि.क्षेत्र- सेड़वा तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 530/155 रकबा 0.9227 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 मोबताराम के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज हैं, वादी के पिता मोबताराम स्वर्गवास कुछ समय



सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

ग्राम भंवार में हो गया हैं स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि में विरासत में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/4- 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/24-1/24 हिस्सा बनता हैं मौजा-आदर्श सोनड़ी, पटवार क्षेत्र- सोनड़ी, भू.अभि.नि. क्षेत्र- सोनड़ी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1210/49 रकबा 0.0647 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा के खसरा नम्बर 526/155 रकबा 1.5054 हैक्टेयर मौजा भंवार के खसरा नम्बर 63 रकबा 6.1107 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 3.9983 हैक्टेयर भूमि जो सम्पूर्ण आराजी वादी के पिता मोबताराम के नाम दर्ज हैं तथा वादी के पिता के सम्पूर्ण हिस्से में से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा पुश्तैनी भूमि जन्मसिद्ध हक हकूको अधिकार होने से अपने पिता की सम्पूर्ण आराजी वादी अपने नाम व खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 03 जारी फरमावें। बहस के अंत में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन अवलोकन किया। उभयपक्षों द्वारा बहस में दिए गए तर्कों पर गहनता से मनन किया। उपर्युक्त विवेचना अनुसार वादी अपने वाद को साक्ष्यों से साबित करने में सफल रहने से व प्रतिवादीगण की सहमति होने से वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा-आदर्श सोनड़ी, पटवार क्षेत्र- सोनड़ी, भू. अभि.नि.क्षेत्र- सोनड़ी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर में वादी की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 2.4362 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 4.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 5.2042 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 6.1188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 1.9182 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207/40 रकबा 2.2743 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1211/320 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1212/322 रकबा 1.3759 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा, पटवार क्षेत्र- सेड़वा, भू.अभि.नि.क्षेत्र- सेड़वा तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 530/155 रकबा 0.9227 हैक्टेयर भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 मोबताराम के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज हैं, वादी के पिता मोबताराम स्वर्गवास कुछ समय पूर्व ग्राम भंवार में हो गया हैं स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि में विरासत में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/4- 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/24-1/24 हिस्सा बनता हैं मौजा-आदर्श सोनड़ी, पटवार क्षेत्र- सोनड़ी, भू.अभि.नि.क्षेत्र- सोनड़ी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1210/49 रकबा 0.0647 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा के खसरा नम्बर 526/155 रकबा 1.5054 हैक्टेयर मौजा भंवार के खसरा नम्बर 63 रकबा 6.1107 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 3.9983 हैक्टेयर भूमि जो सम्पूर्ण आराजी वादी के पिता मोबताराम के नाम दर्ज हैं तथा वादी के पिता के सम्पूर्ण हिस्से में से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा पुश्तैनी भूमि जन्मसिद्ध हक हकूको अधिकार होने से अपने पिता की सम्पूर्ण आराजी वादी अपने नाम व खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 03 हिस्सा के हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य लिखित राजीनामा होने से स्व. मोबताराम की सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि का उक्तानुसार वादी श्री मोहनलाल खिलेरी की खातेदारी में घोषित की जाती है तथा वादी के पिता स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि ग्राम



★ (6)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

खसरा नम्बर 63 व 98 आया हुआ है जिसमें वादी के पिता द्वारा उक्त भूमि में अपने हिस्से को बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बालोतरा में जरिये नामान्तरकरण संख्या 664 दिनांक 04.07.1994 के जरिये बैंक के पक्ष में रहन करके ऋण प्राप्त किया था, उक्त रहन का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में चौसाला खसरा परिवर्तन में होता रहा, लेकिन चौसाला खसरा परिवर्तन दरम्यान राजस्व रेकर्ड में रहन का इन्द्राज बालोतरा भूमि विकास बैंक के स्थान पर दी बाड़मेर सेन्ट्रल कोपेरेटिव बैंक सेडवा का इन्द्राज राजस्व कार्मिको के द्वारा कर दिया गया तथा मोबताराम द्वारा अपने जीवनकाल में बालोतरा भूमि विकास बैंक का सम्पूर्ण ऋण राशि की अदायगी कर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर हल्का पटवारी व तहसीलदार को उक्त भूमि रहन मुक्त करने हेतु दिया गया, परन्तु राजस्व रेकर्ड में त्रुटि वश भूमि विकास बैंक बालोतरा के स्थान पर दी बाड़मेर सेन्ट्रल कोपेरेटिव बैंक सेडवा अंकित होने से उक्त त्रुटि तहसीलदार द्वारा सुधार नहीं करने के अभाव में रहन मुक्ति का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सका। जिसके कारण वादी राजस्व रेकर्ड में त्रुटि सुधार कर राजस्व रेकर्ड शुद्ध कर रहन मुक्ति का अमल दरामद करवाने का अधिकारी होने से उक्त भूमि को रहन मुक्ति के संबंध में परीक्षण कर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेडवा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया। पत्रावली फाइल नम्बर होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।



(बद्रीनारायण, विशनोई, आर.ए.एस)
सहायक कलकत्ता न्यायालय उपखण्ड
(SPO) सेडवा

7

डिक्री व मुकदमें इत्दाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appellendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर
व इजलास श्री बट्टीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीनीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनलाल खिलेरी पुत्र मोबताराम खिलेरी जाति विश्नोई, निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. मोबताराम पुत्र भारमलराम के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 01 से 03, 01. गवरी देवी पत्नी मोबताराम जाति विश्नोई, निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 2. कमला पुत्री मोबताराम पत्नी बाबुलाल 03. लाछी पुत्री मोबताराम पत्नी स्व. मंगलाराम जाति विश्नोई, निवासी तेजे की ढाणी, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। प्रफॉर्मा पक्षकार 04. उदाराम पुत्र भारमलराम 5. देराम पुत्र भारमलराम 6. भागीरथराम पुत्र भारमलराम 7. लालाराम पुत्र भागीरथ जाति विश्नोई, निवासी सेड़वा, जिला बाड़मेर 8. एलची पत्नी ठाकरा 9. कोहला उर्फ कोशलाराम पुत्र भारमलराम 10. जगदीश पुत्र ठाकरा जाति विश्नोई, निवासी भंवार, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 11. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा सेड़वा 12. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा धोरीमन्ना 13. शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा 14. शाखा प्रबंधक दी सेंद्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेड़वा 15. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सेड़वा

मुकदमा नम्बर : 13/2026

दावा बाबत : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act 1955 सपठित धारा 136 रा.भू.अधियम

मोहनलाल खिलेरी बनाम मोबताराम के कायम मुकाम वगैरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वकील श्री मोहनलाल खिलेरी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण की और से वकील श्री श्रीराम विश्नोई मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को मौजा-आदर्श सोनडी, पटवार क्षेत्र- सोनडी, भू.अभि.नि.क्षेत्र- सोनडी तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर में वादी की पुश्तैनी (पैतृक) खेत खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 314 रकबा 2.4362 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 327 रकबा 4.8238 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 5.2042 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 6.1188 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 1.9182 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1207/40 रकबा 2.2743 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1211/320 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1212/322 रकबा 1.3759 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा, पटवार क्षेत्र- सेड़वा, भू.अभि.नि. क्षेत्र- सेड़वा तहसील-सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 530/155 रकबा 0.9227 हैक्टेयर भूमि में से वादी



सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

प्रतिवादी संख्या 01 मोबताराम के नाम से 1/6 हिस्सा दर्ज हैं, वादी के पिता मोबताराम स्वर्गवास कुछ पूर्व ग्राम भंवार में हो गया हैं स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि में विरासत में वादी एवं प्रतिवादी संख्या से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/4- 1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का पैतृक 1/24-1/24 हिस्सा बनता हैं मौजा-आदर्श सोनडी, पटवार क्षेत्र- सोनडी, भू.अभि.नि.क्षेत्र- सोनडी तहसील-सेड़वा जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 1210/49 रकबा 0.0647 हैक्टेयर व मौजा सेड़वा के खसरा नम्बर 526/155 रकबा 1.5054 हैक्टेयर मौजा भंवार के खसरा नम्बर 63 रकबा 6.1107 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 3.9983 हैक्टेयर भूमि जो सम्पूर्ण आराजी वादी के पिता मोबताराम के नाम दर्ज हैं तथा वादी के पिता के सम्पूर्ण हिस्से में से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा पुश्तैनी भूमि जन्मसिद्ध हक हककों अधिकार होने से अपने पिता की सम्पूर्ण आराजी वादी अपने नाम व खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 03 हिस्सा के हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के मध्य लिखित राजीनामा होने से स्व. मोबताराम की सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि का उक्तानुसार वादी श्री मोहनलाल खिलेरी की खातेदारी में घोषित की जाती है तथा वादी के पिता स्वर्गीय मोबताराम की खातेदारी भूमि ग्राम भंवार के खसरा नम्बर 63 व 98 आया हुआ हैं जिसमें वादी के पिता द्वारा उक्त भूमि में अपने हिस्से को बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बालोतरा में जरिये नामान्तरकरण संख्या 664 दिनांक 04.07.1994 के जरिये बैंक के पक्ष में रहन करके ऋण प्राप्त किया था, उक्त रहन का इन्द्राज राजस्व रेकॉर्ड में चौसाला खसरा परिवर्तन में होता रहा, लेकिन चौसाला खसरा परिवर्तन दरम्यान राजस्व रेकॉर्ड में रहन का इन्द्राज बालोतरा भूमि विकास बैंक के स्थान पर दी बाडमेर सेन्ट्रल कोपेरेटिव बैंक सेड़वा का इन्द्राज राजस्व कार्मिको के द्वारा कर दिया गया तथा मोबताराम द्वारा अपने जीवनकाल में बालोतरा भूमि विकास बैंक का सम्पूर्ण ऋण राशि की अदायगी कर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर हल्का पटवारी व तहसीलदार को उक्त भूमि रहन मुक्त करने हेतु दिया गया, परन्तु राजस्व रेकॉर्ड में त्रुटि वश भूमि विकास बैंक बालोतरा के स्थान पर दी बाडमेर सेन्ट्रल कोपेरेटिव बैंक सेड़वा अंकित होने से उक्त त्रुटि तहसीलदार द्वारा सुधार नहीं करने के अभाव में रहन मुक्ति का राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सका। जिसके कारण वादी राजस्व रेकॉर्ड में त्रुटि सुधार कर राजस्व रेकॉर्ड शुद्ध कर रहन मुक्ति का अमल दरामद करवाने का अधिकारी होने से उक्त भूमि को रहन मुक्ति के संबंध में परीक्षण कर तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार खातेदारी घोषणा की डिक्री जारी हो। तहसीलदार सेड़वा उक्त आदेश व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर जमाबन्दी में अंकन करे। लीज मुबलिक बाबत पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें। इस मुक्तिद्वारे के मय सूद व शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे। बसंत मेरुदेखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 2.01.02/2.0.2006 को जारी की गई।



(2)

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1	वाद के लिए स्टाम्प	शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2	शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3	प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यह	आदेशिका की तामिल	
6	कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7	आदेशिका की तामिल		



सहायक कलेक्टर
(SDO) सेरवा

3

Handwritten text at the bottom of the page, including the number '01139' and other illegible characters.